

भोपाल सहकारी दुर्गद्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755–2478250, 51, 52, 53 फैक्स, नं- 0755–2450896

ई-मेल: gmpplant.bsdsm@gmail.com

टैंकर से दुर्गद्ध परिवहन कार्य हेतु ई-निविदा सूचना :

निविदा संदर्भ— 4284/BSDS/GMPO/XVII

Dt : 23/04/2020

भोपाल सहकारी दुर्गद्ध संघ मर्यादित, भोपाल को संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न बीएमसी मार्गों से भोपाल दुर्गद्ध संयंत्र एवं दुर्गद्ध शीतकेन्द्र नरसिंहगढ़., शुजालपुर, राजगढ़, आष्टा, मुलताई, बैतूल, पचौर तक 7000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। टैंकरों को किराये पर लगाने हेतु इच्छुक परिवहनकर्ता वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर अपनी निविदा दरें प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रूपये 50,000/- जमा करना अनिवार्य है। शर्तों का विस्तृत विवरण www.mpcdf.gov.in एवं www.sanchibhopal.com पर मात्र पाठन के लिये उपलब्ध है। एक अथवा समस्त निविदाये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुर्गद्ध संघ के पास निहित रहेगा। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शाई गई वेबसाइट पर ही परिवर्तित किया जायेगा अन्य किसी माध्यम में प्रकाशित नहीं होगा, अतः वेबसाइट का लगातार अवलोकन किया जाये।

निविदा डाऊनलोड प्रारंभ	निविदा शुल्क	प्रतिभूति राशि (₹0)	ऑनलाइन निविदा अपलोड की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि एवं समय
24.04.2020 11.00 AM	1000/-	50,000/- प्रति मार्ग	14.05.2020 2.30 PM	15.05.2020 3.30 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755-2478250, 51, 52, 53


फैक्स.नं 0755-2450896 ई-मेल: gimplant.bsdsm@gmail.com

– निविदा दस्तावेज –

मूल्य रूपये 1000/- मात्र

ई-निविदा बाबत्	संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न बीएमसी मार्गों से भोपाल दुग्ध संयंत्र, शीतकेन्द्र नरसिंहगढ़., शुजालपुर, राजगढ़, आष्टा, मुलताई, बैतूल, पचौर तक 7000 कि.ग्रा क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना ।
निविदा संदर्भ	No : 4284 /BSDS/GMPO/XVII Dt : 23/04/2020
शेड्यूल-I	कार्य का विवरण एवं मार्ग वार रोड मिल्क टैकर की आवश्यकता संबंधी विवरण
शेड्यूल-II	सामान्य शर्तें एवं निविदा
शेड्यूल-III	अनुबंधित परिवहनकर्ता हेतु कार्य संचालन की आवश्यक शर्तें
शेड्यूल-IV	बी.एम.सी. समितियों – परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक शर्तें
शेड्यूल-V	तकनीकी विवरण
शेड्यूल-VI	दर प्रस्तुतीकरण पत्रक (टोल टैक्स सहित)
प्रतिभूति राशि	Rs. 50,000/- प्रति मार्ग
निविदा शुल्क रु.	Rs. 1000/-
ऑनलाइन निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	14.05.2020 अपराह्न 2.30 बजे तक
निविदा प्रस्तुतीकरण	<ul style="list-style-type: none"> – तकनीकी दस्तावेजों हेतु लिफाफा को एक अन्य बड़े सील बंद लिफाफे में रख कर इस लिफाफे को दिनांक 15.05.2020 की दोपहर 02.30 बजे तक संघ कार्यालय में भौतिक तौर पर अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना है। – दर प्रस्तुतीकरण केवल ऑन लाइन (on line) ही किया जाना है।
निविदा खोलने का समय एवं तिथि	– तकनीकी निविदा दिनांक 15.05.2020 दोपहर 3.30 बजे खोली जावेगी।
पत्राचार हेतु कार्यालय का पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क्र : 0755–2478250, 51, 52, 53 फैक्स, नॉ 0755–2450896

ई-मेल- gmplant.bsdsm@gmail.com

शेड्यूल-I

(अ) कार्य का विवरण

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्य क्षेत्र में स्थित –

(i) विभिन्न बीएमसी युक्त दुग्ध सहकारी समितियों से डेयरी संयंत्र भोपाल हेतु 7000 कि.ग्रा क्षमता (दो वर्ष की अवधि हेतु)।

(ii) विभिन्न बीएमसी मार्गों से शीतकेन्द्र नरसिंहगढ़., शुजालपुर, राजगढ़, आष्टा, मुलताई, बैतूल, पचौर तक 7000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। इस हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर से दुग्ध परिवहन करने हेतु किराये पर टैंकर लगाने के इच्छुक परिवहनकर्ताओं से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा स्वीकृत होने पर वाहन के अनुरक्षण, डीजल, कर्मचारियों पर व्यय टोल टैक्स एवं अन्य सभी प्रकार के खर्च परिवहनकर्ता को करने होगे। अतः निविदाकारों द्वारा टैंकर संचालन में लगने वाले सभी व्ययों को समावेश कर रोड मिल्क टैंकर्स की क्षमता अनुरूप किराये पर लगाने हेतु केवल प्रति किलोमीटर चालन की ही दरें on line प्रस्तुत की जाए।

(ब) रोडमिल्क टैंकर आवश्यकता संबंधी विवरण

क्रमांक	टैंकर की क्षमता	कार्य नियोजन	टैंकरों की अनुमानित मांग (संख्या)
1	7000 कि.ग्रा.	बीएमसी समिति से भोपाल डेयरी संयंत्र, विभिन्न बीएमसी मार्गों से दुग्ध शीतकेन्द्र नरसिंहगढ़., शुजालपुर, राजगढ़, आष्टा, मुलताई, बैतूल, पचौर	33

टीप :- मांग के अनुरूप टैंकर्स की संख्या कम या अधिक हो सकती है।


(स) विभिन्न मार्गों का विवरण –

— विभिन्न मार्गों की दूरी, बीएमसी, अनुमानित मात्रा का विवरण अगले पृष्ठ पर संलग्न है।

शीतकेन्द्र का नाम	वर्तमान में संचालित एवं प्रस्तावित मिल्क टैकर मार्ग क्रमांक	मिल्क टैकर मार्ग का नाम (प्रारंभिक बीएमसी, डीसीएस एवं अंतिम बीएमसी डीसीएस का नाम शीतकेन्द्र का नाम)	मार्ग में कुल बीएमसी समितियों की संख्या (अनुमानित)	मार्ग की प्रति द्विप दूरी आना-जाना कि. मी. में (अनुमानित)
भोपाल	01	खैरी—आलादखेड़ी—भोपाल	13	215
	02	रतनपुर तुमड़ी—बफापुर ढाकनी—भोपाल	15	254
	03	मेहनपुर—बरखेडा सालम—भोपाल	14	190
	04	नई चंदेरी—खुरचनी—भोपाल	11	138
	05	उलझावन—नादनी—भोपाल	8	103
	12	रामखेड़ी—बरखेड़ी नाथू—भोपाल	11	113
	13	देवली—निवारिया—भोपाल	14	205
	14	खामलिया—पाटनिया—भोपाल	13	170
	15	रामखेड़ी—अवन्तिपुरा—भोपाल	8	162
	16	श्यामपुर—मुगालिया हाट—भोपाल	13	181
	20	चाटाहेड़ी—ख जूरिया रामदास—भोपाल	15	317
	21	इमलिया भोपाल—बरखेडा बरामद—भोपाल	14	234
आष्टा	07	रामनगर—गुडभेला—आष्टा	11	220
	08	नयानुरा—बिजोरा—भोपाल	13	220
शुजालपुर	17	सादनखेड़ी—मोहम्मदपुर मछनई—भोपाल	10	234
	09	कालापीपल—ढाबलाधीर—भोपाल	8	194
	22	ढाबलाधोषी—पखनी—आष्टा	9	150
नरसिंहगढ़	18	सिन्दूरिया—महिला कुरावर—नरसिंहगढ़	9	198
	10	खण्डियापुरा—बाईहेडा—नरसिंहगढ़	9	153
	11	सुआहेड़ी—नीनोर—नरसिंहगढ़	11	202
राजगढ़	06	पान्दा पाडल्यामाता—सण्डावता—खुजनेर —राजगढ़	9	144
पचोर	19	पनवाड़ी—पिलिया हाट—भोपाल	12	310
बैतूल	23	खामला—चिल्कापुर—आमलानांदा—दभेरी—गढ़ा—जीन—कोदारोटी—बैतूल	7	237
	24	पाठर—साकादेही—मण्डई—रोझडा—बैतूल	4	80
	25	चूनाहूजूरी—बिघवा—बोरी—नसीराबाद—बैतूल	4	130

शीतकेन्द्र का नाम	वर्तमान में संचालित एवं प्रस्तावित मिल्क टैंकर मार्ग क्रमांक	मिल्क टैंकर मार्ग का नाम (प्रारंभिक बीएमसी, डीसीएस एवं अंतिम बीएमसी डीसीएस का नाम शीतकेन्द्र का नाम)	मार्ग में कुल बीएमसी समितियों की संख्या (अनुमानित)	मार्ग की प्रति ट्रिप दूरी आना-जाना कि. मी. में (अनुमानित)
बैतूल	26	माण्डवी—कोलगांव—जावरा—साईखेडा—साईखण्डरा—पंचधार—बैतूल	6	110
	27	खण्डारा—जम्बाडा—नाहिया—बडोरा—बैतूल	4	91
	28	रानीपुर—बारव्ही—बैतूल बाजार—बैतूल	3	100
मुलताई	29	चिल्हाटी—जाम—मुलताई	8	82
	30	लीलाझार—चन्दोराखुर्द—मुलताई	13	130
	31	दुनावा—पारडसिंगा—मुलताई	12	92
	32	छिदखेडा—चौथिया—मुलताई	4	85
	33	मेही—हेटी—मुलताई	4	77

❖ समयानुसार मार्ग की समिति एवं दूरी घट-बढ़ सकती है।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं –0755–2450896

ई-मेल: gimplant.bsdsm@gmail.com

शेड्यूल-II

दुग्ध परिवहन हेतु ई-निविदा की सामान्य शर्ते एवं निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश :

1. दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यकारिणी सदस्यों एवं कर्मचारियों के परिवार जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई-बहन को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी। अतः निविदाकार को इस बावत् पृथक से नोटराइज्ड शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप संलग्न है।
2. संघ के पूर्व में प्रतिबंधित एवं ब्लैक लिस्टेड परिवहन ठेकेदार निविदा भरने हेतु पात्र नहीं होगे। प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों द्वारा ब्लैक लिस्टेड परिवहनकर्ता को भी निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
3. संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है, तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होंगे।
4. निविदाकार के स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम का वाहन पंजीयन होना अनिवार्य है अर्थात् निविदाकर्ता के नाम या परिवार के आश्रित सदस्य (पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्र, अविवाहित पुत्री) जो वयस्क हो, के नाम से ही टैंकर का पंजीकृत हो। वाहन के कागजात जिसका मूल दस्तावेज से परीक्षण किया जायेगा, प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा की दर हेतु प्रस्तुत भाग (तकनीकी निविदा खुलने के समय) खोली नहीं जावेगी तथा ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी। परिवहनकर्ता को निविदा अनुबंध अवधि में भोपाल दुग्ध संघ से अनुबंधित टैंकर को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।
5. दर प्रस्तुतीकरण ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है।
6. प्रतिभूति राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार) प्रति मार्ग, प्रति टैंकर के हिसाब से Online जमा कर, पावती की प्रति तकनीकी प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। उक्त प्रतिभूति राशि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित सफल निविदाकार के लेखों में सुरक्षानिधि के रूप में समायोजित की जावेगी। बी.एम.सी. दुग्ध संकलन कार्य हेतु नियोजित होने वाले 7000 कि.ग्रा. क्षमता के प्रत्येक रोड मिल्क टैंकर हेतु सुरक्षा निधि रु. 03.00 लाख प्रति टैंकर निर्धारित है, जिसका डिमान्ड ड्राफ्ट औपचारिकता पूर्णता के समय जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा निधि जमा होने पर ही कार्यादेश दिया जायेगा। इस जमा राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
7. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में तकनीकी निविदा पर सभी अधिकृत सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्यायरनामा है। इस प्रकार उक्त व्यक्ति भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो ऐसी दशा में निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
9. निविदा स्वीकृत होने पर BMC समितियों के दूध परिवहन हेतु सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः दो वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे। (तीन वर्षों की अवधि के बाद किसी भी दशा में वृद्धि नहीं की जा सकेगी)
10. संघ को अच्छी स्थिति के नये टैंकरों की आवश्यकता है। नये टैंकर वर्ष 2016 या उसके बाद के वर्षों के निर्भित हो अन्यथा प्रस्तुत निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।

11. परिवहनकर्ता को निर्धारित क्षमता 7000 कि.ग्रा. हेतु स्वीकृत की गई दर के प्रोरेटा आधार पर अधिकतम 9000 कि.ग्रा. क्षमता तक भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में 9000 कि.ग्रा. से अधिक मात्रा परिवहन किये जाने पर अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। दुग्ध संघ द्वारा आवश्यकतानुसार कम मात्रा में दूध परिवहन किये जाने पर अनुमोदित क्षमता 7000 कि.ग्रा. के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
12. निविदाकार को निर्धारित निविदा प्रपत्र में दर प्रस्तुत करना होगी इस हेतु निविदा प्रपत्र रु 1000/- ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
13. निविदा स्वीकृति करने के पश्चात् टैंकर संचालन अनिवार्य रहेगा अन्यथा की दशा में प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
14. निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर निविदा निरस्त कर सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी।
15. सभी निविदायें गुण दोष के आधार पर या कोई भी निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
16. बीएमसी दुग्ध परिवहन में वर्तमान में कार्यरत सभी परिवहनकर्ताओं से भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पक्ष में निविदा खोलने से पूर्व की देयक अवधि में उनके विरुद्ध वसूली योग्य राशि होने पर उसकी निविदा अमान्य की जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)
दूरभाष क्र : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं- 0755–2450896
ई-मेल- gmpplant.bsdsm@gmail.com

SCHEDELE - III

सफल स्वीकृत निविदाकार / परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक शर्ते :-

1. निविदाकार अपने वाहन के अनुरक्षण, डीजल, टोल टैक्स व अन्य सभी खर्चों के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।
2. परिवहनकर्ता को टैंकर परिवहन हेतु आवश्यक स्टॉफ मय अधिकृत लाइसेंस के साथ रखना होगा तथा संबंधित स्टॉफ का पुलिस सत्यापन तथा लाइसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। स्टाफ परिवर्तन की सूचना आवश्यक दस्तावेजों के साथ दुग्ध संघ को देना अनिवार्य होगा।
3. दुग्ध संयंत्र एवं शीत केंद्रों से बी.एम.सी समितियों की दूरियां सत्यापित की गई है, अथवा की जावेगी जिसके आधार पर ही परिवहन देयकों का कि.मी अनुसार भुगतान किया जायेगा।
4. परिवहनकर्ता द्वारा प्रदायित टैंकर में वाल्व बाक्स होना अनिवार्य है साथ ही टैंकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर कवर ढक्कन संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित टैंकर को कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
5. परिवहनकर्ता के प्रत्येक टैंकर में दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता के व्यय पर जी.पी.एस.सिस्टम सेन्सर के साथ लगाया जावेगा। इससे टैंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। यदि जी.पी.एस. सिस्टम / सेन्सर में परिवहनकर्ता द्वारा कोई छेड़ छाड़ की जाती है तो दुग्ध संघ द्वारा रु. 1,00,000/- की राशि पेनाल्टी स्वरूप वसूली जावेगी एवं दुबारा ऐसा करने पर अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी जिसके लिये परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त वाहनों का पंजीयन अनिवार्य होगा। तकनीकी निविदा के साथ वैद्य प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7. देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। परिवहनकर्ता को प्रत्येक माह की दिनांक 01 से 15 तक का देयक 20 तारीख तक तथा दिनांक 16 से 30 / 31 तक का देयक 05 तारीख तक नियमित तौर पर प्रस्तुत करना होंगे, दिनांक 05 एवं 20 को शासकीय अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस मान्य होगा। देयक विलम्ब से प्रस्तुत करने पर रु. 500/- प्रति दिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। यदि संघ की वसूली योग्य राशि निकलती है तो सात दिवस में उक्त राशि संघ कार्यालय में जमा कराई जाना होगी। वसूली योग्य राशि जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में टैंकर का संचालन रोकते हुये वाहन को संयंत्र परिसर में खड़ा कर प्रतिदिन ब्याज अधिरोपित करते हुये नियमानुसार वसूली कार्यवाही की जायेगी।
8. बी.एम.सी समिति में भंडारित दूध को गेजमार्क से मात्रा को चैक कर तथा दूध गुणवत्ता परीक्षण के उपरान्त टैंकर में भरना होगा, निर्धारित सील लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट कर एवं दुग्ध के सैम्प्ल का परीक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तदनुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा जिस पर संबंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक / क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे गेट पास दिया जावेगा।

परिवहनकर्ता के स्टाफ का यह कर्तव्य होगा कि वह दूध भरे टैंकर को लेकर निकलने के पूर्व सम्पूर्ण चीजे सुनिश्चित कर उसे निर्धारित स्थान पर उसी हालत में पहुँचायें एवं उसकी दूध मात्रा, फैट एवं एस.एन.एफ. में कोई अन्तर न आवे। दूध मात्रा, फैट एवं एस.एन.एफ. में अंतर प्राप्त होने पर अंतर की पूर्ण वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जावेगी एवं उसे ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताओं की दशा में संबंधित

नंबर के टैंकर तथा परिवहनकर्ता दोनों को ब्लैक लिस्ट किया जावेगा, उसे देश प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं दिया जा सकेगा। जिसकी सूचना अन्य दुग्ध संघों को तत्काल दें दी जायेगी तथा सुरक्षा राशि राजसात कर ली जायेगी।

विभिन्न बीएमसीयों से प्राप्त दूध को शीतकेन्द्र/संयंत्र द्वारा निर्धारित तौलकांटा पर ड्रायवर के समक्ष प्राप्त किये गये वजन अनुसार दूध प्राप्त किया जायेगा।

9. यदि टैंकर पर लगी सील/सीलों में कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो दूध की मात्रा फैट एवं एस.एन. एफ में अंतर न आने पर भी इस स्थिति में रु. 50,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
10. परिवहन निर्देशों में मार्ग अनुसार अधिकतम परिवहन समय सीमा निर्धारित की जायेगी। उससे अधिक समय में टैंकर लाने पर जहाँ न्यूनतम रु. 10,000/- का अर्थदण्ड लगाया जावेगा वही गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जाएगी।
11. दुग्ध टैंकरों के सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा दुग्ध टैंकर के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लीकेज, पेंटिंग, लाकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टैंकर के अन्दर की सफाई संघ द्वारा की जावेगी।
12. परिवहन के दौरान टैंकर क्षतिग्रस्त होने पर या खराब होने पर, ओवरलोडिंग या अन्य कारणों से अनावश्यक विलम्बित होने के कारण यदि दूध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा, एवं समस्त क्षति का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से किया जावेगा।
13. टैंकर फेल होने पर अन्य टैंकर की व्यवस्था कर दुग्ध का परिवहन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा तथा इस परिवर्तन में हुए फैट, एस.एन.एफ एवं दूध मात्रा आदि हानि की वसूली की जाएगी, इस स्थिति में परिवहनकर्ता को संघ कार्यालय से परिवर्तन करने की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
14. यदि परिवहन के दौरान टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं जिसके परिणामस्वरूप दूध का नुकसान होता है तो हानि की संपूर्ण राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जायेगी। इस संदर्भ में आवश्यक बीमा कराने का दायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा।
15. परिवहनकर्ता स्टाफ को दुग्धालय परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टैंकर एवं स्टाफ को दुग्धालय परिसर में निर्धारित स्थान पर टैंकर खाली होने तक ही रुकने की अनुमति होगी तथा टैंकर खाली होने पर तत्काल टैंकर को अपने निर्धारित स्थान हेतु रवाना होना पड़ेगा, अन्यथा प्रत्येक एक घंटे हॉलिंग का रुपये 10000/- अर्थदण्ड लगेगा जिसका मिलान सिक्योरिटी गेट के रजिस्टर से किया जायेगा।
16. टैंकर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का परिवहन वर्जित होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नहीं होगा। अति आवश्यक होने पर मेन रोड पर ही टैंकर खड़ा किया जावेगा वह भी अधिकतम 10 मिनिट हेतु पूरे परिवहन काल में एक बार।
17. टैंकरों को क्षमता के अनुसार R.T.O से सत्यापित होना आवश्यक है। दुग्ध टैंक बदलने हेतु उसकी पूर्व अनुमति कार्यालय से लेनी होगी। किसी भी दशा में पूर्व अनुमति के बिना टैंकर का बैरल बदला नहीं जाएगा। यदि बिना पूर्व अनुमति के परिवहनकर्ता द्वारा बैरल बदला जाता है तो ऐसे परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उसे कार्य से पृथक कर, अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। जिसका संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
18. परिवहन कार्य संघ द्वारा निर्धारित किए गए नियत मार्ग से ही करना होगा। अन्य मार्ग से टैंकर का आना-जाना, पाये जाने पर यह माना जावेगा कि टैंकर को दूध चोरी के उद्देश्य से मार्ग बदलकर परिवहन किया गया है अतः तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।
19. संघ कार्यालय द्वारा टैंकरों की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टॉफ द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।
20. परिवहनकर्ता को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।

21. दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
- (i) टैंकर के पीछे “दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है।
 - (ii) टैंकर के दोनों ओर “यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया नम्बर पर सूचित करें।”
 - (iii) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के विज्ञापन टैंकर पर लिखवाना अनिवार्य होगा।
 - (iv) वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पैटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगी, अन्यथा संघ द्वारा लेखन कार्य कराने पर व्यय हुई राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जावेगी।
22. समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा करना आवश्यक होगी।
23. नियमानुसार परिवहनकर्ता के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौत्रा गणनानुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौत्रा न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।
24. स्वीकृत निविदाकार (परिवहनकर्ता) को भोपाल दुग्ध संघ के साथ रूपये 1000/- के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा साथ ही दुग्ध संघ की सदस्यता रूपये 100/-जमाकर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, किन्तु मतदान इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
25. डीजल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर परिवहन दरों में समानुपातिक वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी। इसकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :—
- 7000 किग्रा क्षमता ——— 10 km/lit
26. निविदा स्वीकृत होने पर BMC समितियों के दूध परिवहन हेतु सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः दो वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे। (तीन वर्ष की अवधि के बाद किसी भी दशा में वृद्धि नहीं की जा सकेगी)
27. स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मौखिक मांग अनुसार टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होगें।
28. परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक **दण्ड रु. 5,00,000/-** के साथ-साथ संबंधित परिवहनकर्ता एवं उसके वाहन चालक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा अनुबंध समाप्त कर परिवहनकर्ता को ब्लैक लिस्ट कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संघ को हुई अन्य हानियाँ आपके देयकों से समायोजित की जायेगी।
29. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जी.पी.एस. लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रु0 1,00,000/- का आर्थिक दंड किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
30. यह कि टैंकर में सील एवं लॉक करने के सभी पार्ट्स लगे हो ताकि टैंकर दूध एवं दुग्ध पदार्थ लोड करने के पश्चात सील किया जा सके।
31. परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुये मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित द्वितीय श्रेणी शासकीय अधिकारी अथवा नजदीकी पुलिस थाने से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करें तथा **महाप्रबंधक (सं.सं.)** के निर्देशानुसार दूध को समय पर डेरी प्लांट में पहुँचाये अथवा प्राप्तकर्ता डेरी तक पहुँचाये, यह सामयिक स्थिति पर निर्भर करेगा।
32. यह कि अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि प्रथमतः उसके देयकों से उसके बाद सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत की जावेगी। यह कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

33. यह कि किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।
34. यह कि अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का संपूर्ण अधिकार आपसी सहमति से **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** को होगा।
35. परिवहनकर्ता को एक कम्प्राइंटिंग बीमा पालिसी वाहनों हेतु लेना अनिवार्य होगी। परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा की आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, डूयूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी ना कि दुर्घटना के कारण से दुर्घटना को होने वाली क्षति की वसूली भी परिवहनकर्ता से की जायेगी।
36. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण मध्यस्थ (Arbitrator) के द्वारा किया जावेगा जो कि संघ का अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुर्घटना संघ मर्यादित,
भोपाल

SCHEDULE – IV

बी.एम.सी. समितियों से टैंकर द्वारा दुग्ध परिवहन निविदा हेतु अन्य आवश्यक शर्तें:

1. यह कि, प्रतिदिन दुग्ध समितियों (बल्क मिल्क कूलर वाली) में संकलित दूध शीतकेन्द्र / डेयरी संयंत्र तक लाने की जबाबदारी द्वितीय पक्षकार की रहेगी। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा आवशकतानुसार डेयरी संयंत्र निर्देश में दिये जावेंगे। निर्देशानुसार समस्त दुग्ध समितियों का दूध (क्षमता अनुसार) लाना होगा, यदि एक बार में समस्त संकलित दूध नहीं आ सकें तो एक से अधिक बार दुग्ध संकलन हेतु आना—जाना होगा।
2. यह कि, टैंकर वाल्व में लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज होने की दशा में होने वाली दूध एवं गुणवत्ता की हानि टैंकर के परिवहन देयक से कटौत्रा की जावेगी।
3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध समितियों को दिये जाने वाले सामान जैसे मिनरल मिक्वर, टेस्टिंग एवं स्टेशनरी, सामान ले जाना होगा एवं इसका लेखा—जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। संघ से भेजे गये सामान को समिति को देकर पावती रसीद संघ कार्यालय में जमा करना होगी। समिति को भेजा गया सामान प्राप्त न होने पर उस सामान की राशि का कटौत्रा परिवहनकर्ता से किया जावेगा।
4. यह कि, किसी कारण से यदि संकलन बंद रखा जाता है तो इसकी पूर्व सूचना द्वितीय पक्ष को दी जायेगी एवं ऐसे दिनों का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
5. यह कि, निर्देशित समय से संस्थाओं का दूध डेरी संयंत्र तक लाने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी, डेरी संयंत्र पर दूध नहीं पहुँचने की स्थिति में/दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है एवं प्रथम पक्ष द्वारा व्यवस्था कर वाहन भेजा जाता है एवं इसमें संघ को जो भी अतिरिक्त राशि देना पड़ेगी, वह राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक अथवा सुरक्षानिधि से काटी जावेगी एवं लगातार तीन बार शिकायत प्राप्त होने पर ब्लैक लिस्ट कर आगामी संघ की निविदाओं में सम्मिलित होने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया जावेगा।
6. यह कि, प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्य जिनके लिए द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हो, को छोड़कर) जो द्वितीय पक्ष के काबू से बाहर हो, आदि कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दूध की हानि को जो खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फटा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।
7. यह कि, क्रमांक 6 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/द्वितीय पक्ष के काबू से बाहर के मानवीय कृत्य, कृत्यों का पंचनामा बनाकर द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली में कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके सत्यापन पश्चात् कार्यालयीन कार्यवाही के उपरान्त काटी गई राशि द्वितीय पक्ष को वापिस की जा सकेगी।
8. यह कि, एक्सिडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है तथा दूध का नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं ऐसे नुकसान का कटौत्रा द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से किया जावेगा।
9. यह कि, वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा। यदि डीजल के अभाव में दुग्ध परिवहन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जॉच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण यदि शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को परिवहन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली भी द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं सुरक्षानिधि राजसात की कार्यवाही की जावेगी।

10. यह कि, संघ के कार्य से संघ/संस्था कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
11. यह कि, संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा सामान/सवारी दुर्घट वाहन में नहीं लाई जावेगी, यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो आर्थिक दण्ड ₹0 1000/- किया जावेगा।
12. यह कि, द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ प्रतिनिधि/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड लगाये या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें।
13. यह कि, द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तों का निरंतर उल्लंघन करने, असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बन्द करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर सुरक्षानिधि जप्त कर लें, इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।
14. यह कि, चेकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जॉच करने पर पाया जाता है कि वाहन कर्मचारियों द्वारा दूध में गड़बड़ी, हेराफेरी, दूध निकालकर विक्रय करने या दूध पीते हुए पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की अनियमितता करते हुए पाये जाने पर संबंधित परिवहनकर्ता एवं वाहन चालक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अनुबंध अवधि की समस्त दूध की कमी एवं इससे समिति/संघ को होने वाली हानि का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा एवं अनुबंध निरस्त करने एवं सुरक्षानिधि जप्त करने का संपूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष अर्थात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुर्घट संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
15. यह कि, वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी, सरकारी, कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से कटौत्रा की जावेगी।
16. यह कि, द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि अथवा प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिए द्वितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं सुरक्षानिधि राजसात कर ले।
17. यह कि, डेयरी परिसर के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाया जावेगा, डेयरी परिसर में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेयरी परिसर में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड दिया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अन्दर आने के पश्चात् जब तक वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ रहेंगे।
18. यह कि, वाहन का स्पीडोमीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घंटों में पुनः सुधरवाया जाना अनिवार्य होगा।
19. यह कि, इस अनुबंध के अन्तर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की देय योग्य होगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है, तो उसके लिये भी द्वितीय पक्ष जबावदेह होगा।
20. यह कि, परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
21. यह कि, द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटों के बनवाये जावेंगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे एवं वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।
22. यह कि, अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि उसके देयकों से, सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से की जावेगी।
23. यह कि, डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

24. यह कि, अनुबंधित वाहन पर झायवर एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त उनके निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एकट या कर्मचारी क्षति पूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को स्वयं ही रखना होगा।
25. यह कि, अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाने पर प्रथम माह अनुमोदित दर में 20 प्रतिशत् का कटौत्रा किया जावेगा तथा दूसरे माह अनुबंध निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
26. यह कि, दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमताओं के टैंकरों के एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर अथवा नवीन पुर्नगठित मार्ग पर टैंकर को चला सकेगा एवं उसी अनुसार दूरी का भुगतान किया जावेगा, इसमें द्वितीय पक्ष का हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा।
27. यह कि, कार्य की आवश्यकतानुसार टैंकरों को शीतकेंद्रों से भी दुग्ध परिवहन कार्य हेतु भेजा जा सकेगा।
28. यह कि, निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तों पर सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज में हस्ताक्षर तथा सील होने पर सील सहित तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल**

SCHEDULE - V**तकनीकी विवरण**

1. निविदाकार का नाम —
2. पूरा पता —
3. फोन नं./मोबाइल नं.
(लगातार उपयोग होने वाला) —
4. ई-मेल आईडी —
5. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार
(दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें) —
6. रोडमिल्क टैंकर क्षमता —
7. माडल तथा मेक —
8. आयकर पेन का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें) —
9. खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पंजीयन (छायाप्रति संलग्न करें) —
10. शेड्यूल II की शर्त क्रमांक 1
(रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर
नोटराइज्ड वचन पत्र संलग्न करें) —
11. किसी दुग्ध संघ : द्वारा काली सूची में
नामित नहीं किया है (रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल
स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड वचन पत्र संलग्न करें) —
12. टैंकर का नियोजन किस कार्य हेतु किया जाना है।
(बी.एम.सी से डेयरी संयंत्र/शीतकेन्द्र) —
-

निविदा फार्म में वर्णित भोपाल दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्ते पूर्णतः मान्य हैं।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर निविदाकार
नाम —
मोबाइल नं.—

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755–2478250,51,52,53 फेक्स,नं- 0755–2450896

ई-मेल- gmpplant.bsdsm@gmail.com

SCHEDEULE - VI

दर प्रस्तुतीकरण पत्रक

(RATES SHOULD BE SUBMITTED IN THIS FORMAT)

FINANCIAL BID

क्र.	विवरण	मार्ग क्रमांक	दर प्रति कि.मी. (समस्त टोल टैक्स शामिल करते हुए)
1.			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

- नोट:- 1. निविदाकर्ता यदि 07 से ज्यादा मार्गों पर दर प्रस्तुत करना चाहता है तो उपरोक्त तालिका संशोधित कर दर उल्लेख करे।
 2. हाई स्पीड डीजल की वर्तमान दर – रु. प्रति लीटर अनुसार परिवहन दर प्रस्तुत की गयी।
 3. दरें सिर्फ Online ही प्रस्तुत करे।

दिनांक –

नाम –

हस्ताक्षर –

पता—

मोबाइल नंबर –

वचन –पत्र

मैं.....आत्मज.....आयु.....लगभग.....निवासी.....
 भोपाल दुर्घ संघ में.....कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हू। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा भोपाल दुर्घ संघ के माननीय अध्यक्ष/ संचालक/दुर्घ संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुर्घ संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम
 पता

सत्यापन

मैं..... उपरोक्त वर्णित वचनदाता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कथन पूर्णरूपेण सत्य होकर विश्वसनीय है।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम
 पता

AGREEMENT FOR HIRING OF ROAD MILK TANKER FOR THE TRANSPORTATION OF MILK

THIS AGREEMENT IS MADE THE DAY _____ between Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, through its CHIEF EXECUTIVE OFFICER (hereinafter called, the FIRST PARTY, which expression shall, where the context be to include his successor in the office) And (herein after called the Transporter), Which expression shall, where the context so admit, includes his heirs, executors, successors and assignees on the SECOND PARTY.

WHEREAS THE Transporter has offered to provide _____ Nos. of Road Milk Tankers for the transportation of Milk on hiring basis, vide his tender offer No._____-____ Dt. after negotiations held on -----

WHEREAS Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, has agreed to hire Insulated Road Milk Tanker for the Transportation of Milk in the State of Madhya Pradesh, the said article from the transporter/supplier, on the approved rates, which is given below :

S.NO	Capacity	Aproved Rate
1.		

Now therefore, the agreement witnesses and it is hereby agreed as following.

1. The approved rates shall be valid for two years from the date of approval of the rates and agreement shall be effected from date .

In case of price revision of diesel, the rate will be revised proportionately considering number of Kilometers limit,

2. The said article shall be providing milk as per dispatch schedule.
3. The terms and conditions are agreed as per the Complete tender document.

Signature:

IIInd party

Name _____
Address _____

Signature:

I st party
CEO

Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit
Habibganj Bhopal - 462024

Witness:

1. _____
2. _____

Witness:

1. _____
2. _____